न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमीलाल यादव R.A.S.

न. मु. 37/2023

1 गोरीशंकर दतक पुत्र स्व. चन्द्री पत्नि स्व. दुगड़राम जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान वादी

बनाम

1 पवनकुमार पुत्र स्व. फेफाराम जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला–चूरू राजस्थान।
2 जगदीश पुत्र स्व. फेफाराम जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला–चूरू राजस्थान।
3 श्रीमती मुन्नी पत्नि शिवरतन जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला–चूरू राजस्थान।
4 अंकित पुत्र शिवरतन जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला–चूरू राजस्थान।
5 रामानन्द पुत्र विमला पत्नि रामकुमार जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम लखमणसर जीली तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान।
6 शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा ईयांरा तहसील बीदासर जिला चूरू
7 राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त तहसीलदार, उप तहसील कार्यालय कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राज.
9 श्रीमान उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय कातर छोटी तहसील बीदासर चूरू

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक रेंकार्ड दुरूस्ति, विभाजन व चिर निषेधाज्ञा प्राप्ती का प्रत्येक प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर धारा 88ए, 188ए, 53 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1 वादी – श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट
2 प्रतिवादी स. 1, 2 – जगदीश प्रजापत एडवोकेट
3 प्रतिवादी स. 5 – अख्तर सोलंकी
4 प्रतिवादी स. 08 – पैरोकार राज.

निर्णय दिनांक :– 10/2/2025

वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रोही ग्राम ईंयारा में मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2076-2077 खाता नम्बर 466 खसरा नम्बर 11 रकबा 4.7424 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 156 रकबा 1.3405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 673 रकबा

लगातार.....2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

3776 हैक्टेयर कुल खसरे 4 कुल रकबा 8.7134 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त वर्णित वादगत खेत खसराजात की भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 5 के पिता दुगड़राम व फेफाराम एवं दादा धन्नाराम के वक्त की भूमि सम्पति है। उपरोक्त वादगत खसराजात की भूमि वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 5 के पिता दुगड़राम व फेफाराम के हिस्सा पांती की रही है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 5 के पिता दुगड़राम व फेफाराम के वक्त से वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 1/2, 1/2 हिस्सा के अनुसार काश्त करते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 के पिता दुगड़राम व फेफाराम ने उपरोक्त वादगत भूमि खसरों का अपने जीवनकाल में ही मौखिक रूप से विभाजन करके अपने अपने हिस्सा पांती अनुसार सीवें कायम कर ली थी और अपने अपने हिस्सा भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादी के पिता एवं माता के कोई जाइन्दा सन्तान नहीं होने के कारण वादी की माता श्रीमती चन्द्री ने अपने जीवन काल में प्रतिवादी सख्या 1 ता 5 के पिता एवं नाना और अपने देवर फेफाराम के लड़के वादी गोरीशंकर को अपना दतक पुत्र बना लिया था और अपने जीवनकाल में ही समस्त प्रकार की धार्मिक और सामाजिक परम्पराओं का निर्वहन करते हूए वादी को अपना दतक पुत्र घोषित कर दिया था और वादी की माता श्रीमती चन्द्री द्वारा वादी को गोद लेने का लिखित करार जरिये लिखत दिनांक 23/11/2000 को वादी के परिवारजन, समाज के मौजीजान के रूबरू लिखवा कर सम्पादित करवा दिया था, लेकिन वादी की माता श्रीमती चन्द्री ग्रामीण क्षेत्र की अनपढ़ महीलाजात होने के कारण गोदनामा का पंजीयन नहीं करवाया जा सका। वादी की माता श्रीमती चन्द्री का दिनांक 31/01/2002 को स्वर्गवास हो चुका है। वादी वादगत भूमि सम्पति में अपनी माता चन्द्री पत्नि दुगड़राम के 1/2 हिस्सा पर दतक लिखत के वक्त से काबिज काश्त है। वादी श्रीमती चन्द्री के गोद जाने के बाद उसकी सेवा चाकरी, हीड़ा, दवाई, ईलाज आदि वादी के द्वारा ही किया जाता रहा है वादी की माता का स्वर्गवास होने के उपरान्त समस्त प्रकार के धार्मिक कियाकर्म वादी के द्वारा ही सम्पन्न किये गये थे वादी को ही बतौर पुत्र पगड़ी बन्धवाई गई। वादी के द्वारा ही अपनी माता के स्वर्गवास होने के बाद समस्त प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न किये गये थे, समस्त प्रकार का खर्चा वादी के द्वारा ही वहन किया गया था वादी की माता श्रीमती चन्द्री के स्वर्गवास के बाद वादगत भूमि सम्पति में वादी के पिता दुगड़राम के हिस्सा की 1/2 हिस्सा भूमि वादी के द्वारा ही काश्त की जाती रही है जिसके वादी की पुख्ता पक्की नीवें सीवें कायम है। वादी ने अपने हिस्सा की भूमि की पुख्ता पक्की तारबन्दी कर सीमा कायम कर रखी है जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा कभी किसी प्रकार का उजर नहीं किया गया। वादगत खेत खशरा नम्बर 11 रकबा 18–09 बीघा व खसरा नम्बर 156 रकबा 5–06 बीघा कुल रकबा 23–15 बीघा में वादी का 1/2 हिस्सा उतरी तरफ का हिस्सा पांती में किया हुआ है जिसके पुख्ता पक्की तारबन्दी कर सीमा कायम की हुई है। वादी के 1/2 हिस्सा भूमि के आसे पासे निम्न प्रकार से है उत्तर खेत भंवरसिंह पुत्र अनोपसिंह, श्रवणराम पुत्र बालुराम जाट दूसाद दक्षिणी तरफ बाकी खसरा हिस्सा फेफाराम के वारिस प्रतिवादी स. 1 ता 4, पूर्वी तरफ खेत लालसिंह पुत्र अनोपसिंह राजपूत, पश्चिमी तरफ खेत श्रवणराम पुत्र बालुराम जाट है। वादगत खेत खशरा नम्बर 673 रकबा 09–08 बीघा व खसरा नम्बर 142 रकबा 01–00 बीघा कुल रकवा 10–08 बीघा में वादी का 1/2 हिस्सा उतरी तरफ का हिस्सा पांती में किया हुआ है जिसके पुख्ता पक्की तारबन्दी, कर सीमा कायम की हुई है। वादी के 1/2 हिस्सा भूमि के आसे पासे निम्न प्रकार से है उत्तर खेत पेमाराम, नेमाराम जाट दक्षिण बाकी खसरा हिस्सा भूमि फेफाराम के वारिस प्रतिवादी स. 1 ता 4 पूर्व खेत ओंकारमल रामस्वरूप ब्राहाम्ण, पश्चिम खेत लिछमणराम पुत्र बालुराम जाट दूसाद है।

लगातार......3 पर

सत्यमेव जयते
...र जिला–चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपरोक्त वर्णित खसराजात की भूमि में प्रतिवादी सख्या 5 रामानन्द पुत्र निमला पत्नि नन्दकुमार जो दिन्सा का पुत्र है यानि वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 का भानजा होने के कारण प्रतिवादी सख्या 5 का वादगत खसराजात की भूमि में कभी कोई हक हिस्सा और अधिकार मालिकाना काबिजाना नहीं रहा है। वादगत खसराजात में प्रतिवादी सख्या 5 की मां दिन्सा के स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी सख्या 5 के सगे भाई बहनो द्वारा अपना हक हिस्सा कुबानी और लिखित रुप से प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 के पक्ष में परित्याग किया जा चुका है। सहखातेदारों में से एक या एक से अधिक खातेदारों द्वारा हक त्याग करने पर समान मुद्रांक शुल्क देय है हक त्याग मुद्रांक शुल्क का नियमानुसार भुगतान किया जा चुका है लेकिन हकत्याग पंजीयन करवाने के वक्त प्रतिवादी सख्या 5 नाबालिग होने के कारण निष्पादन नहीं किया जा सका था। जिसके कारण प्रतिवादी सख्या 5 का नाम गलत रूप से बतौर खातेदार दर्ज चला आ रहा है। जिसका वादगत भूमि में कोई हक हिस्सा या कब्जा कास्त नहीं है विवादित खसराजात की भूमि में उपरोक्त वर्णित आसे पासे की अपने हिस्सा की भूमि के राजकीय अनुदान से तारबन्दी करने की स्कीम में आवेदन प्राप्त करने एवं वादगत भूमि सम्पति का विधिवत विभाजन करवाने का निवेदन वादी ने प्रतिवादीगण से किया तो प्रतिवादी सख्या 1 ता 5 करवा देगे, करवा देगे का आश्वासन देते रहे। वादी ने अन्तिम बार दिनांक 11/08/2023 को खातेदारी रेकार्ड दुरूस्त करवाने एवं विभाजन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण खातेदारी रेकार्ड दुरूस्त करवाने और विभाजन करवाने से इन्कार हो गये। वादी के द्वारा प्रतिवादी सख्या 1 ता 5 को राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करवा कर खातेदारी भूमि मुताबिक कब्जा काश्त विभाजन करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण के मन में लालच आ गया तथा प्रतिवादी सख्या 1 व 5 ने गलत खातेदारी के आधार पर चल रहे हिस्सा पांती अनुसार वादी के कब्जा काश्त एवं हिस्सा पांती की भूमि पर जबरन कब्जा करने की कुचेष्टा करने लगे तथा ऐलानिया तौर पर धमकीया देने लगे की राजस्व रेकार्ड में हम प्रतिवादीगण का जितना हिस्सां दर्ज चला आ रहा है उसी अनुसार तुम वादी को हिस्सा देगे। बाकी जमीन दुगड़राम की हम सब पांती करेगे। हम वर्षो पूर्व की गई हिस्सा पांती को एवं वादी के स्व. चन्द्री के गोद जाने को नहीं मानते आदि आदि ऐलानिया धमकीया दीं। दिनांक 11/08/2023 को प्रतिवादी सख्या 1 ता 5 ने वादी को ऐलानिया धमकीया दी और कहा की मौखिक विभाजन को नहीं मानते, हम जहां चाहे कब्जा करेगे, तुम्हारे हक हिस्सा की भूमि से तुमको बेदखल कर देगे आदि आदि ऐलानिया धमकीया दी, वर्तमान में भूमि की किमतें ज्यादा बढ़ जाने के कारण तथा प्रतिवादी सख्या 1 ता 5 का नाम हिस्सा राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज चले आने से प्रतिवादीगण गलत खातेदारी को लेकर वादी से आये दिन विवाद करने लगे है प्रतिवादीगण सख्या में अधिक होने के कारण वादी उनका बलपूर्वक मुकाबले करने में सक्षम नहीं है इस कारण प्रतिवादीगण को न्यायालय से वर्जित करवाने के अलावा दुसरा कोई विकल्प वादी के पास नहीं है। प्रतिवादीगण 1 ता 5 ने वादी को उपरोक्त विवादित खेत खसरान् में अपनी गलत और निराधार खातेदारी की आड़ में जबरन बेदखल करने की कुचेष्टा में है जिसके लिए प्रतिवादीगण ने वादी को दिनांक 11-8-2023 को ऐलानिया धमकी दी है कि खेत हिस्सा से बेदखल करेगे इस कारण वादी को वाद हेतुक प्राप्त है दावा अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का हो चला है जो धारा 80(2) के नाटिस से छूट लेकर प्रस्तुत किया जा रहा है वादी वादगत भूमि का खातेदार एवं कब्जेधारी काश्तकार है इस कारण वादी को वादाधार प्राप्त है प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

कातर छोटी भू–धारक होने के कारण पक्षकार संयोजित है वादगत भूमि रोही ईंयारा हसील बीदासर में स्थित हैं जिसके कारण उपरोक्त खसराजात के सम्बन्ध में तमाम प्रकार के विवाद सुनने का श्रीमानजी के न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार प्राप्त है दावा रेकार्ड दुरूस्ति, घोषणात्मक, विभाजन एवं चिर चिर निषेधाज्ञा प्राप्ती है जो 10/– रूपये के न्याय शुल्क पर अवधि भितर प्रस्तुत किया जा रहा है आदि प्रस्तुत कर **अनुतोष** चाहा की घोषित किया जावे रोही ईंयारा के खसरा नम्बर 11 रकबा 4.7424 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 156 रकबा 1.3405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 673 रकबा 2.3776 हैक्टेयर कुल खसरे 4 कुल रकबा 8.7134 हैक्टेयर में गलत दर्ज चला आ रहा प्रतिवादी सख्या 5 का नाम हटाया जाकर वादी के नाम बतौर खोलायत पुत्र 1/2 हिस्सा दर्ज किया जाये तथा मुताबिक कब्जा काश्त के विभाजन किया जाकर पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जाकर अलग लगान कायम किया जावे, राजस्व नक्शा में वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 का अलग अलग नक्शा तरमीम करने हेतू प्रतिवादी राजस्थान सरकार तहसीलदार के नाम आदेश जारी किया जाये। प्रतिवादीगण 1 ता 5 को जरिये चिर निषेधाज्ञा के वर्जित किया जावें कि विवादित खसरान् में वादी के मालिकाना काबिजाना अधिकारों की भूमि में वादी को को प्रवेश करने, काश्त करने, फसल लेने से रोके नहीं, निवास करने से रोके नहीं प्रतिवादी स. 1 ता 5 उपरोक्त विवादित खेतों में वादी के हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त की भूमि को हिस्सा को विक्रय, बन्धक, हस्तान्तरण नही करें, स्वयं प्रवेश नहीं करें तथा ना ही ऐसा कृत्य करें जिससे वादी के वैध अधिकारों पर असर पड़े। खर्चा मुकदमां दिलवाया जावें। अन्य कोई न्यायोचित सहायता जो हितकर वादी को फरमाने की कृपा करें अनुतोष चाहा।

उपरोक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये पंजीकृत डाक से तामील हेतू नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सख्या 1, 2, 5 की और से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत, अख्तार सोलंकी द्वारा वकालतनामे मय राजीनामा प्रस्तुत किया गये जो बाद जांच तस्दीक कर शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी सख्या 3, 4 6, 7, 9 वाबजूद विधिवत तामील के हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रकरण में दिनांक 22.01.2025 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जो आज तक अस्तित्व में है प्रकरण में प्रतिवादी सख्या 8 सरकार की और से पैरोकार राज ने लिखित जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रकरण में किसी भी प्रतिवादी पक्षकार द्वारा वाद में वर्णित तथ्यों को विवादित नहीं किया गया एवं प्रकरण में उपस्थित पक्षकारान् प्रतिवादी सख्या 1, 2, 5 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण किसी प्रकार के विवाधकों की विरचना नहीं की गई है। साक्ष्य वादी में वादी द्वारा सशपथ बयान प्रस्तुत किये गये जो तस्दीक कर शामिल पत्रावली किये गये, वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेज जमाबन्दी, प्रमाणित प्रति गोदनामा प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी सख्या 1 व 2 ने नोटेरी से तस्दीक शुदा शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपने वयान कलमवद्ध करवाये जो शामिल मिशल किये गये। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य से वाद को नहीं मानने का कोई कारण पत्रावली में नहीं है। प्रतिवादी सख्या 1, 2, 5 का राजीनामा शामिल पत्रावली है। लिहाजा दावा वादी राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने योग्य है जिसकी डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

आदेश

अतः उपरोक्त वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि रोही ईंयारा के खसरा नम्बर 11 रकबा 4.7424 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 156 रकबा 1.3405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 673 रकबा 2.3776 हैक्टेयर कुल खसरे 4 कुल रकबा 8.7134 हैक्टेयर दर्ज गलत दर्ज प्रतिवादी सख्या 5 का नाम हटाया जाकर वादी के नाम बतौर खोलायत पुत्र 1/2 हिस्सा दर्ज किया जाये तथा दावा वर्णितानुसार विभाजन किया जाकर पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जाकर अलग लगान कायम किया जावे, राजस्व नक्शा में वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 का अलग अलग नक्शा तरमीम किया जावे। आदेश की पालना हेतू प्रतिवादी सख्या 8 तहसीलदार बीदासर के नाम तहरीर जारी हो, साथ ही प्रतिवादीगण 1 ता 5 को जरिये चिर निषेधाज्ञा के वर्जित किया जाता है कि वादी के मालिकाना काबिजाना अधिकारों की भूमि में वादी को को प्रवेश करने, काश्त करने, फसल लेने से रोके नहीं, निवास करने से रोके नहीं प्रतिवादी स. 1 ता 5 उपरोक्त खेतों में वादी के हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त की भूमि को हिस्सा को विक्रय, बन्धक, हस्तान्तरण नही करें, स्वयं प्रवेश नहीं करें तथा ना ही ऐसा कृत्य करें जिससे वादी के वैध अधिकारों पर असर पड़े। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करें। इस प्रकार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनाक 10 – 2–2025 को सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

अमीलाल यादव
उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

{Civil Procedure code, Appendix "D-1"}.

अज अदालत ...श्रीमान उपखण्ड अधिकारी ....मुकाम........बीदासर जिला चूरू ....व इजलास..............पीठासीन अधिकारी............ श्री अमीलाल यादव R.A.S.

गोरीशंकर बनाम पवन. कुमार आदि

दावा बाबत ....घोषणात्मक, रेकार्ड दुरूस्ति, विभाजन, चिर निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर...... . 37/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रू ब रू .... हाजरी . श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट मिनजानिब मुदई व .....जगदीश प्रजापत व पैरोकार राज. .....मिन जानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि .... रोही ईयारा के खसरा नम्बर 11 रकवा 4.7424 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142 रकबा 0. 2529 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 156 रकबा 1.3405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 673 रकवा 2.3776 हैक्टेयर कुल खसरे 4 कुल रकबा 8.7134 हैक्टेयर दर्ज गलत दर्ज प्रतिवादी सख्या 5 का नाम हटाया जाकर वादी के नाम वतौर खोलायत पुत्र 1/2 हिस्सा दर्ज किया जाये तथा दावा वर्णितानुसार विभाजन किया जाकर पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जाकर अलग लगान कायम किया जावे, राजस्व नक्शा में वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 का अलग अलग नक्शा तरमीम किया जावे। आदेश की पालना हेतू प्रतिवादी सख्या 8 तहसीलदार बीदासर के नाम तहरीर जारी हो, साथ ही प्रतिवादीगण 1 ता 5 को जरिये चिर निषेधाज्ञा के वर्जित किया जाता है कि वादी के मालिकाना काबिजाना अधिकारों की भूमि में वादी को को प्रवेश करने, काश्त करने, फसल लेने से रोके नहीं, निवास करने से रोके नहीं प्रतिवादी स. 1 ता 5 उपरोक्त खेतों में वादी के हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त की भूमि को हिस्सा को विकय, बन्धक, हस्तान्तरण नही करें, स्वयं प्रवेश नहीं करें तथा ना ही ऐसा कृत्य करें जिससे वादी के वैध अधिकारों पर असर पड़े। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

फीस ....मुबलिग़..बाबत ....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..10......माह...02...2025

मु उपखण्ड अधिकारी
दस्तखत
ओहदा.......... बीदासर (चूरू)

मुदई	रुपया	पै.	मुदायला	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सवूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
वावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा जो हर फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही, अर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)